:: नियमावली ::

(1) संस्था का नाम : श्रीमती उर्मिला देवी शिक्षा प्रसार समिति

(2) संस्था का पता : ग्राम- नगला भोज, पो०- बल्लापुर
तहसील व जिला- औरैया (2064)

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश इस संस्था का कार्यक्षेत्र होगा जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

(4) संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :- प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारतीय हो उम्र से बालिग हो संस्था के उद्देश्यों से आस्था व विश्वास रखते हो तथा जो संस्था की नियमावली का पालन करने के लिये वचन बद्ध रहे इस संस्था के सदस्य हो सकेंगे। सभी प्रकार की सदस्यता संस्था के प्रबन्धक / मन्त्री के द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रबन्धक / मन्त्री किसी भी सदस्यता पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा। संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे।

(1) संस्थापक सदस्य :- इस संस्था की स्थापना श्री बहादुर सिंह द्वारा की गयी है वे अपने योगदान के कारण इस संस्था के आजीवन संस्थापक सदस्य रहेंगे

2- इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति इस संस्था के सदस्यता की कोटि में आना चाहे वह 20,000 रुपया या इसके बराबर कीमत -अचल सम्पत्ति देकर संस्थापक सदस्य बन सकता है। संस्थापक सदस्य केवल पंजीयन के समय के भीतर बनाये जायेंगे इसके बाद कोई भी संस्थापक सदस्यता कोटि का सदस्य नहीं हो सकेगा।

3- सभी संस्थापक सदस्य इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे इन्हें आजीवन सदस्यता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यदि संस्थापक सदस्य स्वतः त्यागपत्र देकर हटना चाहेंगे वह इसके लिये स्वतन्त्र होंगे।

(2) आजीवन सदस्य :- संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त जो व्यक्ति इस संस्था को 5000 रुपया नकद या समान मूल्य की चल अचल सम्पत्ति देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

(3) सामान्य सदस्य :- जो व्यक्ति इस संस्था को 101-00 वार्षिक सदस्यता शुल्क दे वे इसके सामान्य सदस्य होंगे। सामान्य सदस्यों को प्रति वर्ष माह अप्रैल मे अपनी सदस्यता शुल्क देना होगा।

===2

कार्यालय उप निबन्धक ... उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय ... फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर